संख्या-140 /2024/1232 /001-1232-23-10-17-2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज-मौंरावा मार्ग के किमी0-13 (एस0एच0-173) पर स्थित सई नदी के जबरेला घाट पर पूर्व निर्मित संकरे एवं क्षतिग्रस्त पुल के समीप नये सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग), उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-312/नदी सेतु/मध्य क्षेत्र-सई नदी/बी0एम0सी0/24-25 दिनांक 23.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज-मौंरावा मार्ग के किमी0-13 (एस0एच0-173) पर स्थित सई नदी के जबरेला घाट पर पूर्व निर्मित संकरे एवं क्षतिग्रस्त पुल के समीप नये सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 1591.93 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ इक्यानबें लाख तिरानबें हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित तालिका के कॉलम-5 में अनुदान सं0-57 से रू0 627.14 लाख एवं कॉलम-6 में अंकित अनुदान सं0-83 से रू0 168.83 लाख अर्थात कॉलम-7 में अंकित कुल रू0 795.97 लाख (रूपये सात करोड़ पन्चानबें लाख सत्तानबें हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज-मौंरावा मार्ग के किमी0-13 (एस0एच0-173) पर स्थित सई नदी के जबरेला घाट पर पूर्व निर्मित संकरे एवं क्षतिग्रस्त पुल के समीप नये सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	1591.93	627.14	168.83	795.97	सेतु निगम
		योगः-	**1591.93**	**627.14**	**168.83**	**795.97**	

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11.11.2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष/संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(16) प्रस्तावित निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग उनकी सहमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति भूमि उपयोग के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निर्गत की जायेगी।

(17) यूटिलिटी शिफिटंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफिटंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफिटंग के कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफिटंग के प्रस्तावित कार्यों का (Competent Authority for land Acquisition) कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफिटंग संबंधी कार्यों हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

(18) यदि प्रयोजना प्रस्ताव में विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफिटंग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफिटंग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

(19) विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफिटंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चिच किया जाये।

(20) भूमि अर्जन की कार्यवाही सी0ए0एल0ए0 (Competent Authority for land Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(21) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। सेतु की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(22) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

(23) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(24) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,27,14,000 (रुपये छह करोड़ सत्ताईस लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041 010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,68,83,000 (रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-179-X-2024-25-दिनांक: 17.09.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव

संख्या-140/2024/1232(1)/001-1232-23-10-17-2024 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ/जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव